न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/81/2015

उनवान

जग्गा वल्द लच्छू गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा , जिला भीलवाडा के विधिक उत्तराधिकारीगणः–

1. गजरू वल्द जग्गा गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा
2. सवाईराम वल्द जग्गा गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा
3. राजु वल्द जग्गा गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा
4. श्रीमती जेती वल्द जग्गा गुर्जर निवासी बागमाली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती हगामी पुत्री रूपा नायक निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

–––रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 96 सी पी सी विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 3/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2015

अभिभाषक : 1. श्री एस एल वैद , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 8.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केसरपुरा तहसील माण्डल की नवीन आराजी नम्बर 314 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 316 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 337/314 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि भूरी बेवा रूपा नायक के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। जिसको श्रीमती भूरी बेवा रूपा नायक ने दिनांक 4.7.1975 को वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज 800/—रूपये विक्रय कर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया । तभी से क्रयसुदा आराजी पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रेता के खातेदारी अधिकार वादी में निहित हो गये। इसलिए वादी खातेदार काश्तकार हो गया । वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति राजस्व एजेन्सी को देकर वादी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन किया परन्तु वादी के नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोला गया । प्रतिवादिया से सांठ—गांठ कर राजस्व एजेन्सी न विरासत से प्रतिवादिया के नाम नामान्तरकरण खोल दिया । जो गैर कानूनी है।

2. राजस्थान प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जाति में भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.9.1976 को संशोधित जोडकर दिनांक 27.7.1977 को लागू किया गया । जब वादी ने विक्रेता श्रीमती भूरी बेवा रूपा नायक से दिनांक 4.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7.1975 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजियात क्रय की तब नायक जाति न तो अनुसूचित जाति में थी और न ही अनुसूचित जनजाति में घोषित की गई थी। वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा नहीं होने के बावजूद प्रतिवादिया ने राजस्व एजेंसी से सांठ–गांठ कर अनुसूचित जाति की आड में अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया। चूंकि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादिया के नाम पर दर्ज है इसलिए वह वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने की धमकी देती है। दिनांक 18.12.2011 को प्रतिवादिया ने वादग्रस्त आराजियात में खडे हरे वृक्षों की छंगाई करना प्रारंभ कर दिया । अतः वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादिया का नाम हटाया जाकर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादिया को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय, बय बक्षीस नहीं करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के उपरान्त वादी/अपीलार्थीगण के पिता जग्गा वल्द लच्छु गुर्जर का निधन हो गया था। चूंकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मे पक्षकार नहीं थे। अतः अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मौजा केसरपुरा तहसील माण्डल की नवीन आराजी नम्बर 314 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 316 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 337/314 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पिता जग्गा गुर्जर ने दिनांक 4.7.1975 को प्रत्यर्थी हगामी की माता से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तभी से अपीलार्थीगण के पिता जग्गा जी का एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने के कारण विक्रेता के खातेदारी अधिकार निर्वापित होकर क्रेता/जग्गा/अपीलार्थीगण के पिता में निहित हो गये। इसलिए वादग्रस्त आराजियात का क्रेता/जग्गा खातेदार काश्तकार हो गया । उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति राजस्व एजेन्सी को देने के उपरान्त भी विक्रेता भूरा बेवा रूपा नायक के स्थान पर वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया और नायक जाति अनुसूचित जाति में होने का बहाना बनाकर विरासत से प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम खाता परिवर्तित कर दिया । जबकि वादग्रस्त आराजियात विक्रय किये जाने की तिथि 4.7.1975 को नायक जाति अनुसूचित जाति में नहीं थी। नायक जाति को अनुसूचित जाति में राजस्थान में दिनांक 20.9.1976 को भारत सरकार के राजपत्र में जोडकर अधिसूचना से घोषित किया गया जिसे दिनांक 27.7.1977 को लागू किया गया । अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र दर्ज होने के उपरान्त दिनांक 11.9.

भू: प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2014 को प्रतिवादिया ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया । इस पर काई तनकीयात कायम नहीं होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16.9.2014 को अंतिम बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 16.9.2014 को वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की फिर भी बहस हेतु दिनांक 14.10.2014 को पत्रावली आगामी पेशी में नियत की गई। पीठासीन अधिकारी जी का स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली दिनांक 16.12.2014 को रखी गई। पीठासीन अधिकारी जी ने तहसीलदार से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की सूची में नायक जाति कब से है, इस बारे में रिपोर्ट मंगवाने की तहरीर जारी की । दिनांक 10.2.2015 को तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो गई। जिन्होनें दिनाक 27.7.1977 से नायक जाति को अनुसूचित जाति में घोषित किया जाना मानते हुए रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 23.4.2015 को बहस सुनकर पत्रावली आदेश में रखी गई एवं अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने खारिज किया जावे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीदार/भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया जबकि तहसीलदार/भूमिधारी ने उनके हित प्रभावित होने की आपत्ति भी नहीं की थी। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि वे आवश्यक समझते तो तहसीलदार को वाद में पक्षकार बना सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण को वाद के अनुसार अनुतोष प्रदान कर डिक्री पारित की जावे।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब दावा होने से वादीगण के अधिवक्ताके कथन का समर्थन किया।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है। चूंकि अपीलार्थीगण के पिता /जग्गा गुर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया था एवं अपीलाधीन निर्णय पारित करने के उपरान्त अपीलार्थीगण के पिता का निधन हो गया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही हैं । अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. अपीलार्थीगण/वादीगण के पिता जग्गा वल्द लच्छु गुर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय में मौजा केसरपुरा तहसील माण्डल की नवीन आराजी नम्बर 314 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 316 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 337/314 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पिता जग्गा गुर्जर ने दिनांक 4.7.1975 को प्रत्यर्थी हगामी की माता से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति राजस्व एजेन्सी को देने के बावजूद भी वादी के नाम नामान्तरकरण नही खोले जाने एवं विक्रेता की पुत्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के नाम विरासत से खाता खोल दिये जाने के कारण विक्रेता की पुत्री का नाम हटाया जाकर वादी जग्गा को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया । यद्यपि प्रतिवादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया था। परन्तु चूंकि वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण तहसीलदार /भूमिधारी ने नहीं खोला था एवं तहसीलदार/भूमिधारी से रिलीफ वादी चाहता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा तहसीलदार/भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसी स्थिति में भूमिधारी के खिलाफ अनुतोष पारित करने का कोई आधार नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया था। जो विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण ने अपील में भी तहसीलदार/भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाया है। चूंकि जिस पक्षकार से अनुतोष की मांग की जाती है यदि उसे ही प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जावे तो उस पक्षकार/भूमिधारी के विरूद्ध अनुतोष पारित किया जाना संभव नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपीलाधीन निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2015 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

8/3/18
(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

<u>पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता , आर ए एस</u>

अपील संख्या– आरटीए / 28 / 2016

उनवान

जग्गा वल्द लच्छू गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा , जिला भीलवाडा के विधिक उत्तराधिकारीगणः–

1. गजरू वल्द जग्गा गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा
2. सवाईराम वल्द जग्गा गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा
3. राजु वल्द जग्गा गुर्जर निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा
4. श्रीमती जेती वल्द जग्गा गुर्जर निवासी बागमाली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती हगामी पुत्री रूपा नायक निवासी केसरपुरा उर्फ करता का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 3 / 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2015

अभिभाषक : 1. श्री एस एल वैद , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 81 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्रिकी जारी की जाती हैः–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 8.3..2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस एल वैद वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री श्री मुकेश जैन की उपस्थिति मे दिनांक 8.3..2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 7.5.2015 को यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 8.3..2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिकी जारी की जाती है।

8/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस